डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि0न0 — 13/2025

अनवान — —

1. चरणसिंह पुत्र पालीराम जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. पालीराम पुत्र रामजीलाल जाति नायक निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
2. मूर्तिदेवी पत्नी पालीराम जाति नायक निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
3. राधा पुत्री पालीराम जाति नायक निवासी गांधीबडी तहसील भादरा।
4. सुरता पुत्री पालीराम जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ कल्पित शिवरान उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री लीलाधर अग्रवाल व वकील प्रतिवादीगण श्री नरेन्द्र सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 89/80 के मु0 न0 19 के किला न0 16/1, 16/2, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 24 के किला न00 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 25 के किलान0 11, 20, 21, 22, मु0 न0 26 के किला न0 1, मु0 न0 27 के किला न0 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 18, 19, 22 कुल रकबा 10.3730है0, जिसमें बारानी 1.4430है0, नहरी 8.6800है0, गै0 मु0 खाला 0.25है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1603/10373हिस्सा, व रोही मौजा 18 एएमएस के खाता सं0 12/58 के मु0 न0 1 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15 मु0 न0 2 के किला न0 9, 10, 11, 12, 20 कुल रकवा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.7330है0, गै0 मु0 रास्ता 0.050है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 पालीराम अकेले के बजाए वादी चरणसिंह व प्रतिवादी सं0 1 पालीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प ड्यूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरांत उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

मि०न० — 13/2025
अनवान : —

1. चरणसिंह पुत्र पालीराम जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।

:—वादी

बनाम

1. पालीराम पुत्र रामजीलाल जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
2. मूर्तिदेवी पत्नी पालीराम जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
3. राधा पुत्री पालीराम जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
4. सुरता पुत्री पालीराम जाति नायक निवासी गांधीवडी तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:—प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :— श्री लीलाधर अग्रवाल वादी
श्री नरेन्द्र सिहाग प्रतिवादी

निर्णय दिनांक:

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 89/80 के मु0 न0 19 के किला न0 16/1, 16/2, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 24 के किला न00 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 25 के किलान0 11, 20, 21, 22, मु0 न0 26 के किला न0 1, मु0 न0 27 के किला न0 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 18, 19, 22 कुल रकबा 10.3730है0, जिसमें बारानी 1.4430है0, नहरी 8.6800है0, गै0 मु0 खाला 0.25है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1603/10373 हिस्सा, व रोही मौजा 18 एएमएस के खाता सं0 12/58 के मु0 न0 1 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15 मु0 न0 2 के किला न0 9, 10, 11, 12, 20 कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.7330है0, गै0 मु0 रास्ता 0.050है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1/6 हिस्सा व रोही मौजा चक 7 एसडीआर के खाता सं0 60/181 के मु0 न0 62 के किला न0 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 कुल रकबा 1.7710है0 बारानी में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1/24 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादी अपने हिस्से की भूमि को अपने दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आजकल आजकल करने लगे। अतः वादी अपने हिस्से की भूमि दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है। यह ही बिनाय मुखास्मत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:43:29 IST
Reason: SelfAttested

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 4 ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया। प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने निवेदन किया वाद भूमि रोही मौजा चक 4 एसडीआर व 18 एएमएस वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा निहित है अतः मुताबिक राजीनामा बाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

(राजस्व)

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही मौजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 89/80 के मु0 न0 19 के किला न0 16/1, 16/2, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 24 के किला न00 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 25 के किलान0 11, 20, 21, 22, मु0 न0 26 के किला न0 1, मु0 न0 27 के किला न0 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 18, 19, 22 कुल रकबा 10.3730है0, जिसमें बारानी 1.4430है0, नहरी 8.6800है0, गै0 मु0 खाला 0.25है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1603/10373हिस्सा, व रोही मौजा 18 एएमएस के खाता सं0 12/58 के मु0 न0 1 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15 मु0 न0 2 के किला न0 9, 10, 11, 12, 20 कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.7330है0, गै0 मु0 रास्ता 0.050है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1/6 हिस्सा में अपने हकों की घोषणा चाही है। प्रस्तुत दस्तावेजों से चक 4 एसडीआर व 18 एएमएस की वाद भूमि पैतृक सम्पति है जिसमें वादी के साथ-साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं0 1 के वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 4 के अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। उपरोक्त वाद भूमि में वादी सं0 1 के साथ-साथ प्रतिवादी सं 1 व 3, 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चूंकि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार पैतृक सम्पति में पति की मृत्यु के उपरान्त पत्नी को उसकी सम्पति में हक मिलेगा। इस प्रकार पैतृक सम्पति में पति के जीवनकाल में पत्नी को पैतृक सम्पति में हिस्सा की घोषणा किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी आंशिक स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचानुसार वाद वादी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है की रोही मोजा चक 4 एसडीआर के खाता सं0 89/80 के मु0 न0 19 के किला न0 16/1, 16/2, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 24 के किला न00 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25/1, 25/2, मु0 न0 25 के किलान0 11, 20, 21, 22, मु0 न0 26 के किला न0 1, मु0 न0 27 के किला न0 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15/1, 15/2, 18, 19, 22 कुल रकबा 10.3730है0, जिसमें बारानी 1.4430है0, नहरी 8.6800है0, गै0 मु0 खाला 0.25है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1603/10373हिस्सा, व रोही मौजा 18 एएमएस के खाता सं0 12/58 के मु0 न0 1 के किला न0 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6, 7, 14, 15 मु0 न0 2 के किला न0 9, 10, 11, 12, 20 कुल रकबा 2.7830है0 जिसमें नहरी 2.7330है0, गै0 मु0 रास्ता 0.050है0 में प्रतिवादी सं0 1 पालीराम के नाम 1/6 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उपरोक्त वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 पालीराम अकेले के बजाए वादी चरणसिंह व प्रतिवादी सं0 1 पालीराम को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है चूंकि वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 3 व 4 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क एवं स्टाम्प डयूटी अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें। पर्चा डीकी जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.08.07 12:23:20 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 10/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़